संख्या-18/2024/740108/ 001-23-7-2024-23-7005-43-2024

प्रेषक,

अभिषेक गंगवार,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (बजट 'क' वर्ग),

लोक निर्माण विभाग,

उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ: दिनांक: 11 सितम्बर, 2024

विषयः- जिला उपभोक्ता परितोष आयोग, बस्ती में योजित वाद सं0-185/2022 पंकज पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में दिनांक 19.12.2023 को पारित निर्णय के विरूद्ध मा0 राज्य उपभोक्ता प्रतितोष पीठ में अपील योजित किये जाने हेतु धनराशि का आवंटन डिक्रीटल मद से किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्रांक-1302 बी0जी0/209बी0(80) 2024-25, दिनांक 08.07.2024 के संदर्भ मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपर्युक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/आख्या पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, अपील अन्तर्गत धारा-41 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-219 के विरूद्ध निर्णय/आदेश दिनांक 19.12.2023 न्यायालय जिला उपभोक्ता परितोष आयोग, बस्ती में परिवाद सं0-185/2022 पंकज पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य सरकार आदि में धनराशि रूपये 25,50,311(पच्चीस लाख पचास हजार तीन सौ ग्यारह) का आवंटन प्री-डिपोजिट Registrar State Consumer Disputes Redresal Commission Uttar Pradesh Lucknow के पक्ष में जमा किये जाने हेतु डिक्रीटल मद से किये जाने की एतददवारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

नियम व शर्ते /प्रतिबन्धों

(1) सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारियों/अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, बस्ती द्वारा अंतिम रूप से भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि किसी अन्य योजना/मद से धनराशि का भुगतान पूर्व में याची को नहीं हुआ है।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 25,50,311 (पच्चीस लाख पचास हजार तीन सौ ग्यारह) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय व्ययक में अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054808000301 न्यायालयों की डिक्री की धनराशियों के भुगतान हेतु व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य (भारित) के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी0-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17-मार्च, 2023 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अभिषेक गंगवार)
अनु सचिव।

संख्या-18/2024/740108/001-23-7-2024-23-7005-43-2024तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- जिलाधिकारी, बस्ती।
3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बस्ती।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1/2), लोक निर्माण उ0प्र0 लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता, बस्ती क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, बस्ती।
8- अधीक्षण अभियन्ता, बस्ती वृत्त, लोक निर्माण विभाग, बस्ती।
9- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, बस्ती।
10- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभिषेक गंगवार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।